



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 461 / 12-1

दिनांक, चकराता 01 - अगस्त 2019

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत परियोजना खण्ड,
(आर०ए०पी०डी०आर०पी० भाग-बी / आई०पी०डी०एस०)
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०,
वि०क्र०वि० गब्बर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून।

विषय:- जनपद-देहरादून, विकासखण्ड-चकराता में 33 के०वी० विद्युत लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित 7.20 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी०/04/46/2019/एफ०सी०/876 दि० 24.07.2019 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में विषयांकित ~~विद्युत लाईन~~ के निर्माण हेतु प्रत्यावेदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल / लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय।	14.40 है०	3,06,531/-	44,14,046.00
2	एन०पी०वी०	7.20 है०	6,57,000/-	47,30,400.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेंट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं०-1, 2 व 4 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 461 / 12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।